14

सेवायें जोड़ा जाना

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	शासनादेश सं0 तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी निकायों में संविलियन मांगने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में संविलियन मांगने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के प्रयोजन से सेवा का गिना जाना	सं0–307/XXVII(3)/2005, देहरादून, दिनांक–12 अगस्त, 2005	205–206
2	राजकीय सेवा में आने से पूर्व अशासकीय विद्यालय/महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में की गयी सेवावधि को पेंशन प्रयोजन हेतु जोड़ा जाना	सं0–138/XXVII(7)/2006, देहरादून, दिनांक–02 अगस्त, 2006	207–208

संख्या 307 / xxvii(3) / 2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

वित्त अनुभाग–3 देहरादून:दिनांक 12 अगस्त,2005

विषयः– राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी निकायों में संविलियन मांगने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में संविलियन मांगने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के प्रयोजन से सेवा का गिना जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या –3 – 728 / दस – 901 – 98,दिनांक 10–7–1998 के प्रथम प्रस्तर में यह व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर आता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के कार्यालय में जाता है, तो जहॉ से वह सेवानिवृत्त होगा वहीं सरकार उसके सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान करेगी । उक्त शासनादेश दिनांक 10–7–98 में यह भी व्यवस्था की गयी है कि केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में या राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए या सीधे सेवा ग्रहण करे या उन्हीं परिस्थिति में केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर सीधी भर्ती से जायें तो उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर सैवानिवृत्तिक लाभ दिये जाएं । उपर्युक्त उल्लिखित स्थिति से स्पष्ट है कि शासकीय व्यवस्था"स्वायत्तशासी निकाय" जहां पेंशन व्यवस्था लागू की गयी है, परन्तु उक्त आदेश दिनांक 10–7–98 में कतिपय स्थानों पर स्वायतशासी निकाय के स्थान पर "निगम / उपक्रम" शब्द का प्रयोग किया गया है । जबकि भारत सरकार ने स्पष्ट व्यवस्था की है कि "उपक्रम / निगम" के कर्मचारियों की सेवा पेंशन हेतु आगणित नहीं की जाएगी । इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 10–7–98 की व्यवस्था" स्वायत्तशासी निकाय" में लागू की जानी है, "उपक्रम / निगम" में नहीं । अतएव शासनादेश में जहॉ–जहॉ "निगम / उपक्रम" शब्द का प्रयोग किया गया है उसे सदैव से विलोपित किया गया समझा जाए और उसके स्थान पर "स्वायत्तशासी निकाय" शब्द प्रतिस्थापित माना जाए

2."स्वायत्तशासी निकाय" का आशय ऐसे निकाय से है जिसका वित्त पोषण पूर्णतः अथवा उसके 50प्रतिशत से अधिक के व्यय की पूर्ति राज्य सरकार के अनुदानों से होती है । स्वायत्तशासी निकाय में राज्य सरकार के समविधिक निकाय सम्मिलित होंगे परन्तु राज्य सरकार की वित्तीय

संस्थाये/बैंक शामिल नही होंगे । इस शासनादेश की व्यवस्था के अधीन केवल उसी सेवा को जोड़ा जाएगा जो कि सरकार/स्वायत्तशासी निकाय के संगत नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक मानी जाती है ।

3.शासनादेश संख्या सं0–3–728/दस–98–901–98,दिनांक 10–7–98 को केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए ।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव,

संख्या207XXVII(3)/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी),उत्तरांचल,देहरादून ।
2.सचिव,विधान सभा,उत्तरांचल ।
3.सचिव,श्री राज्यपाल,उत्तरांचल ।
4.निदेशक, समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,
5.निदेशक,कोषागार वित्त एवं सेवायें,उत्तरांचल ।
6.निदेशक,लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल ।
7.सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
8.निदेशक,एन0आई0सी0 देहरादून ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

संख्या : 138/XXVII(7)/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,

सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।

वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक 02 अगस्त, 2006

विषय : राजकीय सेवा में आने से पूर्व अशासकीय विद्यालय/महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में की गयी सेवावधि को पेंशन प्रयोजन हेतु जोड़ा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे सरकारी, कर्मचारी अथवा राजकीय विद्यालयों के शिक्षण या शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो सरकारी सेवा में आने के पूर्व, पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल के किसी ऐसे अशासकीय–विद्यालय/महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में सेवारत रहे हों, जहां पर सरकारी सेवकों की भांति पेंशन की अनुमन्यता करायी गयी हो, की पूर्व के अशासकीय विद्यालय/महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में की गयी वास्तविक सेवाओं को सरकारी सेवक के रूप में सेवा निवृत्त होने पर मात्र पेंशन के आगणन की अवधि हेतु जोड़ा जायेगा। ऐसे अशासकीय विद्यालय/महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से औपचारिक रूप से कार्यमुक्त हो कर सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने तथा वास्तविक रूप से की गयी सेवा का विवरण उपलब्ध कराये जाने पर सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उक्त सेवायें जोड़ी जायेंगी। यदि अशासकीय विद्यालय/महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में पूर्व में अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू थी, जिसमें बाद में पेंशन योजना लागू की गयी, के प्रकरण में ऐसे कर्मचारी जो अंशदायी भविष्यनिधि योजना के अभिदाता हो, द्वारा नियोक्ता के अंश (Employer's Share) को ब्याज सहित कोषागार में जमा कराना आवश्यक होगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

राधा रतूड़ी,

सचिव, वित्त।

संख्या 138 (1)/XXVII(7)/2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तरांचल।
7. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तरांचल।
8. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को दो हजार प्रतियां मुद्रित कराने हेतु।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल एकक, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

टी0एन0 सिंह,

अपर सचिव।